

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938

No. 359]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/VAISAKHA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 534(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 40/2012 सीमा शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित, सा.का. नि. 657(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2012, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं 1 के सामने, स्तंभ (6) और (7) मौजूद प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“मैसर्स हुबई हांगज़यान फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कं. लि. ”

[फा.सं. 354/17/2000-टीआरयू (भाग- III)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 2012 सा.का.नि. 657 (अ), तारीख 30 अगस्त, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**New Delhi, the 19th May, 2016**No. 19/2016-Customs (ADD)**

G.S.R. 534(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2012-Customs (ADD), dated the 30th August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 657(E), dated the 30th August, 2012, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in columns (6) and (7), for the existing entries, the following entry shall respectively be substituted, namely –

“M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd”.

[F.No.354/17/2000-TRU (Pt-III)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note : The principal notification No. 40/2012-Customs (ADD), dated the 30th August, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 657(E), dated the 30th August, 2012.